भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1511 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के थावे जंक्शन का विकास

1511. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में थावे जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत थावे जंक्शन के विकास हेतु कार्य प्रारंभ हो गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उक्त जंक्शन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार निधि की अनुपलब्धता के कारण उक्त योजना के अंतर्गत उक्त जंक्शन के विकास में विलंब कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उक्त जंक्शन के विकास के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के थावे जंक्शन का विकास के संबंध में दिनांक 04.12.2024. को लोक सभा में डॉ. आलोक कुमार सुमन के अतारांकित प्रश्न सं. 1511 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से थावे स्टेशन सहित 98 स्टेशन बिहार राज्य में स्थित हैं। बिहार राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशन
बिहार	98	अनुग्रह नारायण रोड, आरा, बख्तियारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बड़हिया, बरौनी, बाढ़, बरसोई जंक्शन, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहारशरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज, बक्सर, चौसा, छपरा, दलसिंह सराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी ऑन सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गावती, फतुहा, गया, घोड़ासहन, गुरारू, हाजीपुर जंक्शन, जमालपुर, जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, झंझारपुर, कहलगांव, करागोला रोड, कटिहार, खगड़िया जंक्शन, किशनगंज, कुदरा, लाभा, लहेरिया सराय, लखीसराय, लखीमिनिया, मधुबनी, महेशखुंट, मैरवा, मानसी जंक्शन, मोकामा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नबीनगर रोड, नरकटियागंज, नौगछिया, पहाड़पुर, पाटलीपुत्र, पटना, पीरो, पीरपैंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेंद्र नगर, राजगीर, राम दयालु नगर, रक्सौल, सबौर, सगौली, सहरसा, साहिबपुर कमल, सकरी, सलौना, सलमारी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर जं., सुल्तानगंज, सुपौल, तरेगना, ठाकुरगंज, थावे, अररिया कोर्ट, चकिया, नवादा, मोतीपुर, एकमा, मशरख

थावे स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा प्लेटफार्मों का विस्तार, प्लेटफार्म की सतह में सुधार, प्लेटफार्म शेल्टर, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग सुविधाएं, पहुंच मार्ग में सुधार आदि कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आवंटन का विवरण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। बिहार राज्य चार जोनों यथा पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन 2166 करोड़ रुपये है। यह आवंटन इन क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

****